रोडवेज सीएमडी ने ए.ए.जी. को हटाने की मांग उठाई

103 करोड़ की रिकवरी मामले में रोडवेज की संपत्तियां अटैच कराने में ए.ए.जी. की भूमिका संदिग्ध : संदीप वर्मा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा ने मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को पत्र लिखकर मांग उठाई है कि राज्य सरकार के एएजी को तुरंत हटाया जाये। क्योंकि मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. के साथ चल रहे रोडवेज विभाग के केस में 103 करोड़ की रिकवरी निकालते हुए वाणिज्यिक कोर्ट ने परिवहन भवन, रोडवेज मुख्यालय तथा सिंधी कैंप की जमीन अटैच करने के आदेश दिये हैं। जबकि परिवहन भवन तो राज्य सरकार की संपत्ति है, रोडवेज विभाग का उस पर कोई अधिकार नहीं है। रोडवेज सीएमडी ने यह पत्र परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और आयुक्त को भी यह पत्र भेजा है।

■ रोडवेज सीएमडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि ''मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. की ओर से जो अधिवक्ता शशिकांत सैनी और जयवर्द्धन सिंह शेखावत रोडवेज के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वे दोनों एएजी मेजर आर.पी.सिंह के ''डेजिनेटेड़ एसोसिएट'' हैं।''

रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा ने कहा कि एएजी की भूमिका इसलिए संदिग्ध है, क्योंकि मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. की ओर से जो अधिवक्ता शशिकांत सैनी और जयवर्द्धन सिंह शेखावत केस लड़ रहे हैं, जो कि एएजी के ''डेजिनेटेड़ एसोसिएट'' हैं। रोडवेज की संपत्ति अटैच कराने में एएजी की भूमिका संदिग्ध मानते हुए राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि इससे रोडवेज के वित्तीय हित प्रभावित हुए है। राज्य सरकार के 3 जनवरी 2019 के आदेश में शर्त स्पष्ट है कि एएजी किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों व निगमों का, जिसमें राजकीय हितों का उनसे विरोध होता हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

ज्ञात रहे कि वाणिज्यिक मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 महानगर द्वितीय ने बुधवार को मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए रोडवेज अध्यक्ष के ऑफिस व कुर्सी सहित जिन अन्य संपत्तियों को बेचने और हस्तांतरित करने पर पाबंदी लगाई थी। इन संपित्तयों में रोडवेज का सी-स्कीम स्थित भवन, सिंधी कैंप बस स्टैंड की जमीन व ऑफिस, रोडवेज का लालकोठी स्थित भवन और रोडवेज का परिवहन मार्ग स्थित प्रबंध निदेशक का ऑफिसर व कुर्सी शामिल थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली दौरे के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, कानून एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कमल पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। पूनिया ने सुधांशु त्रिवेदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी।

13 आई.ए.एस. और दो आई.पी.एस. का तबादला

■ आईएएस पी.रमेश को जयपुर मेट्रो का सीएमडी बनाया, जबकि विश्राम मीणा से जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ का चार्ज वापस लेकर आईआरएस राजेश कुमार मीणा को सौंपा

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने गुरूवार देर रात आदेश जारी 13 आईएएस और दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है।

आदेशानुसार आईएएस पी.रमेश को जयपुर मेट्रो का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बनाया गया है, जबकि विश्राम मीणा से जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ का चार्ज वापस ले लिया गया है। यह जिम्मेदारी अब एपीओ चल रहे आईआरएस राजेश कुमार मीणा को दी गई है।

इसके अलावा डॉ.खुशाल यादव को स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी का संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। पूजा कुमारी पार्थ को वाणिज्यिक कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त, श्वेता चौहान को जौधपुर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एवं पुलिस सुरक्षा एवं अपराधिक न्याय का रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसी प्रकार कनिष्क कटारिया को कोटा के रामगंज मंडी का उपखंड अधिकारी, राहुल जैन को आबूरोड, सिरोही का उपखंड अधिकारी, सोहन लाल को बूंदी का उपखंड अधिकारी, गुंजन सिंह को श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर का उपखंड अधिकारी, डॉ.धीरज कुमार सिंह को नागौर के खींवसर में उपखंड अधिकारी, सिद्धार्थ पालानीचामी को भरतपुर के उच्चैन का उपखंड अधिकारी, प्रतिभा वर्मा को सीकर के दातारामगढ़ का उपखंड अधिकारी और मृदुल सिंह को अजमेर के ब्यावर का उपखंड अधिकारी बनाया गया है। वहीं एक अन्य आदेश में एपीओ चल रहे आईपीएस हेमन्त प्रियदर्शी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त महानिदेशक तथा हिम्मत अभिलाष टांक को पुलिस मुख्यालय जयपुर में कानून एवं व्यवस्था विभाग का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने कार्यग्रहण किया

राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत ने बोर्ड के नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के नव मनोनीत सदस्य माया सुवालका, के. आर. मेघवाल और चुन्नी लाल कप्तान ने आज गुरुवार को सदस्य पद पर राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में कार्यग्रहण किया।

बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत ने सभी नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया एवं सभी सदस्यों के साथ में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति सजग एवं हितकारी कदम उठाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। बोर्ड सचिव प्रकाश सिंह निर्वाण ने वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर बोर्ड उपाध्यक्ष राजेश टंडन, सदस्य आत्माराम गोयल, प्रतापसिंह राजपुरोहित, एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी/कार्मिक भी उपस्थित रहें।

'2023 में राजस्थान की जनता कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा देगी'

■ डॉ. सतीश पूनिया ने किया अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। रही बात हैसियत की, अशोक गहलोत इतिहास से बाहर निकल देश के वर्तमान जनादेश पर नजर डालें। 2023 में राजस्थान की जनता आपको आपकी हैसियत भी दिखा देगी। कुर्सी की असुरक्षा आदमी को कितना विचलित कर देती है। आपके घर का क्या हाल है माननीय? राजस्थान को अपराधों की राजधानी बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, राजस्थान को बेरोजगारी में नंबर वन बनाने वाली पार्टी, राजस्थान को दुष्कर्म में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, यह कांग्रेस सरकार का राजस्थान मॉडल है।

अपनी विफलतायें छिपाने के लिये भाजपा व केन्द्र पर झूठे आरोप लगाने के बजाय अशोक गहलोत स्वयं की सरकार की हकीकत देखिये कि प्रदेश में बहन-बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक हिन्दुओं के खिलाफ भी राजस्थान में प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आप आंखें मूंदे बैठे हैं।

राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है, दुनिया का हर तीसरा पर्यटक जो भारत आता है वह राजस्थान जरूर आता है, जो राजस्थान की आर्थिक तरक्की में योगदान करता है, लेकिन पिछले 4 वर्षों में अशोक गहलोत के शासनकाल में राजस्थान मॉडल कैसा है, 7 लाख 97 हजार यह केस राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए, ऐसा फिगर आज तक नहीं था, इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो पिछले साल का जो आंकड़ा है वह राजस्थान की कानून व्यवस्था की पोल खोल देता है, अपने आप में उजागर कर देता है, 6337 रेप केस, देश में नंबर वन, इसका एवरेज है 17 रेप प्रतिदिन, 7 हत्याएं प्रतिदिन। पूरी दुनिया में अशोक गहलोत की सरकार अकेली थी जो कोराना के उस पूरे कोविड-19 के उस चुनौती के बीच में 50 दिन तक बाड़े में बंद रही और उनको अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उन पर राजद्रोह के मुकदमे लगाए।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी

राज्य में गुरूवार को 73 नए संक्रमित मिले हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को अन्य दिनों के मुकाबले करोना संक्रमितों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान राज्य में 73 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े तीन सौ हो गए हैं।

■ राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 25 नए मरीज पाए गए हैं।

■ लगातार रिकवरी में कमी आने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े तीन सौ हो गए हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 14 जिलों में 73 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को इन की संख्या 54 रही थी। इधर आज राज्य में सबसे ज्यादा 25 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं।

इसके अलावा अजमेर में 13, कोटा में 8, जोधपुर में 7, उदयपुर में 5, अलवर में 4, सिरोही में 3, सीकर में 2 तथा चित्तौड़गढ़, गंगानगर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर और पाली में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 7628 जांचें हुई है।

प्रदेश में गुरूवार को भी रिकवरी में कमी आई है। इस दौरान 54 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 350 हो गए हैं। जयपुर में भी केवल 7 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 81 हो गए हैं। प्रदेश में गुरूवार को भी करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9644 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में गुरूवार को 15 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 5 रोगी मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा झालाना डूंगरी व सांगानेर में 3-3, मालवीय नगर में 2 तथा आदर्श नगर, चौड़ा रास्ता, सी-स्कीम, जगतपुरा, झोटवाड़ा, महेश नगर, प्रताप नगर, सांभर, वैशाली नगर और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 2 मरीज का पता गलत पाया गया है।

चिकित्सा विभाग में नौ हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

जयपुर,(कासं)। प्रदेश में लगभग 1700 चिकित्सकों एवं 8200 चिकित्सकीय स्टाफ के पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पदोन्नित से रिक्त होने वाली लगभग 600 चिकित्साधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारियों के 840 पदों की भर्ती के लिए आरयूएचएस द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्त विभाग को भेजे गये अन्य 330 चिकित्साधिकारियों की भर्ती स्वीकृति शीघ्र जारी करवाकर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री ने नर्सिंग आफिसर के 3200, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1200, फार्मासिस्ट के 2000, लैब टेक्नीशियन के 1000 एवं सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर भी शीघ्र भर्ती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक सुधीर शर्मा को रिक्त संविदा आधारित 9500 पदों को शीघ्र भरने के भीनिर्देश दिए। उन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि आगामी एक माह में सभी भर्तियां पूरी करके सभी जनता क्लिनिक शुरू करवाये जाए। इसी के साथ चिकित्सा संस्थानों के सिविल कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी उन्होंने निर्देश दिए। इस दौरान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अदल सम्पत्ति आबादी भूखण्ड पट्टा नम्बर 412, ग्राम पंचायत मलिकपुर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राज., कुल क्षेत्रफल 101.11 वर्गगज है। उक्त सम्पत्ति सरदारमल को ग्राम पंचायत मलिकपुर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राज., द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा नम्बर 412 दिनांक 20.09.2019 द्वारा प्राप्त हुई। सरदारमल के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों में उनकी पत्नी श्रीमती विद्या देवी, पुत्रियां पिंकी कुमारी वर्मा, पूजा वर्मा, पुत्र राहुल कुमार वर्मा व मनीष कुमार वर्मा संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी एवं अधिकारी काबिज हुये एवं इन्होंने उक्त सम्पत्ति में निहित अपने अपने अविभाजित हिस्से को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 27.09.2022 द्वारा राहुल कुमार वर्मा व मनीष कुमार वर्मा के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण के राहुल कुमार वर्मा व मनीष कुमार वर्मा संयुक्त रूप से विधिक रूप से एक मात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी काबिज हुए। अब राहुल कुमार वर्मा व मनीष कुमार वर्मा उक्त सम्पत्ति संपूर्ण पर मेरी अभिभाष्य वित्तीय संस्था Rapid Investments Ltd. से ऋण ले रहे है, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकना हक, स्वामित्व, कब्जे, अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखत में मय दस्तावेज सूचित करें अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी। दिनांक-19.10.22
ऋषिकेश महर्षि, एडवोकेट (एस.आर.एम. पार्टनर)
पता-82, एवरेस्ट विहार, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर, राज.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व. श्री कमलेश कुमार शर्मा निवासी-बी-48, गायत्री ग्रीन सिटी, जामडोली आगरा रोड, जयपुर राजस्थान का पुत्र कार्तिकेय शर्मा उर्फ शानू व पुत्रवधू पूनम शर्मा मेरी अभिभाष्या के साथ बदसलूकी करते हैं तथा मेरी अभिभाष्या का कहना नही मानते हैं जिस कारण मेरी अभिभाष्या अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से मेरी अभिभाष्या के पुत्र व पुत्रवधू कार्तिकेय शर्मा उर्फ शानू, पूनम शर्मा को बेदखल करती हैं। अब कार्तिकेय शर्मा उर्फ शानू, पूनम शर्मा का मेरी अभिभाष्या की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
जयपुर। (गणेश बूसर) एडवोकेट
दिनांक मो. 9782928868

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य प्रशान्त कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन निवासी प्लाट नं. ए-45ए, आजाद नगर, सांगानेर, जयपुर का मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 12-07-2022 को प्लाट नं. सी-83 न्याय वाटिका ग्राम बीलवा के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया था। जिसका सांगानेर उप पंजीयक द्वितीय से रजिस्टर्ड करवाकर अपने निवास पर जा रहा था तब असल दस्तावेजो में से (1) स्टाम्प संख्या 819515 राशि 20,000/- रूपये, (2) स्टाम्प संख्या E107115 राशि 1,000/-रूपये, (3) स्टाम्प संख्या E107116 राशि 1,000/-रूपये, (4) स्टाम्प नं. Z545218 राशि 100/-रूपये, (5) स्टाम्प नं. Z545219 राशि 100/-रूपये जिन पर जे.डी.ए. की सील लगी हुई है तथा जोन आयुक्त (जोन-14) जे.डी.ए. व उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय की सील व हस्ताक्षर हैं। जो फोटो कॉपी करवाकर पंजीयक कार्यालय में जा रहा था जो सांगानेर तहसील के आसपास कही पर गिर गये जो काफी तलाश करने पर भी नही मिले। यदि किसी भी व्यक्ति के उक्त दस्तावेज प्राप्त हो तो मुझे व मेरे अभिभाष्य के लौटा देवे। (एम.एस.राजावत) एडवोकेट
दिनांक मो. 9549547733

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक:- DHC-II/1920 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 20/10/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 72/260-ए महसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 61.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री प्रकाश चन्द मोदी पुत्र स्व. श्री बाबू लाल मोदी को किया गया था जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 447 दिनांक 18.04.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 18.04.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 23.05.2000 के द्वारा श्री प्रकाश चन्द मोदी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 05.02.2001 को करवाया गया। श्री प्रकाश चन्द मोदी के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री चेतलाल प्रजापति पुत्र श्री बैजनाथ प्रजापति को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 12.11.2007 को करवाया गया। श्री चेतलाल प्रजापति के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञवभ कुमार जैन को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 17.03.2010 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री राकेश कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 19.12.2016 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका जैन पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार जैन ने मृत्यु पश्चात् नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती मधुलिका जैन पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार जैन के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-**3/746** मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल **30.00** वर्ग मीटर का आवंटन श्री लक्ष्मी चन्द सर्राफ पुत्र श्री गोविन्द राम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 10011 दिनांक 27.02.1982 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 31.01.1983 को प्राप्त कर लिया गया। श्री लक्ष्मी चन्द सर्राफ की मृत्यु दिनांक 30.03.2018 को हो जाने के कारण श्री नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री कमल कुमार सिंघवी एवं श्री गौरव सिंघवी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित हैं।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

NAME CHANGE
I have changed my name after marriage from Sweety Tekwani to Riya Janiani D/o Ishwar Tekwani R/o K-11-A, Income Tax Colony, Durgapura, Tonk Road Jaipur for all future purpose.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email:id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No.0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1893 दिनांक-17.10.2022
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 5/296 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 114.75 वर्गमीटर का आवंटन डॉ. कैलाश भिण्डा पुत्र श्री तुलसी राम भिण्डा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3960 दिनांक 14.12.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.07.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 540 दिनांक 29.12.1994 के द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास डागा के नाम से नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 31.12.1994 को करवाया गया। श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त इनका पुत्र श्री प्रमोद कुमार डागा पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास डागा पंजीकृत हकत्याग के आधार पर उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री कमल कुमार सिंघवी पुत्र श्री कुशल राज सिंघवी एवं श्री गौरव सिंघवी पुत्र श्री कमल कुमार सिंघवी को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 14.12.2006 को करवाया गया। श्री कमल कुमार सिंघवी पुत्र श्री कुशल राज सिंघवी एवं श्री गौरव सिंघवी पुत्र श्री कमल कुमार सिंघवी ने लीजहोल्ड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री कमल कुमार सिंघवी पुत्र श्री कुशल राज सिंघवी एवं श्री गौरव सिंघवी पुत्र श्री कमल कुमार सिंघवी के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का लीजहोल्ड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री कमल कुमार सिंघवी एवं श्री गौरव सिंघवी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित हैं।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1, जयपुर महानगर प्रथम
मनोज कुमार सिंह विरूद्ध विनोद गिल वाद-598/2018
प्रार्थना-पत्र संख्या-RESTO-APPLICATION CMC 45/2022
नाम विनोद गिल पुत्र प्रभु राम गिल जाति जाट पता-म.नं. 98-ए, नित्यानंद नगर, क्वींस रोड, वैशाली नगर, जयपुर मो.-9461624199
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 05 माह 11 सन् 2022 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 20 माह 10 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1, जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

खोया पाया
खसरा नम्बर 229 ग्राम भोजपूरा लाल कोठी दुर्गा देवी अग्रवाल का मूल जेडीए पट्टा, साईट प्लान व स्टाम्प कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। राजेश अग्रवाल-9664498548

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी
श्रीमती पिस्ता देवी अग्रवाल
धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री फतेहचंद गुप्ता का देवलोकगमन दिनांक 18-10-2022 को हो गया। तीये की बैठक 21-10-2022 शुक्रवार को सायंकाल 3 से 4 बजे तक, आदर्श विद्या मंदिर, अम्बाबाडी, जयपुर में होगी।
शोकाकुलः प्रवीण गुप्ता (पुत्र), अरुण- गरिमा (पुत्र-पुत्रवधू), सुनीता-कमल जी गुप्ता, अनीता-सुधीर जी गोयल (पुत्री-दामाद), अनन्या (पौत्री), आर्शिमा (दौहित्री), अर्पित, स्पर्श (दौहित्र) समस्त मंगल परिवार
मोबाइल 8741910777, प्रतिष्ठान-हनुमंत डिस्ट्रीब्यूटर्स, अग्रसेन टावर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दो हजार से ज्यादा डॉक्टर्स को पदोन्नति

जयपुर। चिकित्सा निदेशक के 3 पदों सहित 2359 डॉक्टर्स को दीपावली पर पदोन्नित की सौगात मिली है। इसके साथ ही 3 नर्सिंग अधीक्षकों को जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर, 3 औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सहायक औषधि नियंत्रक पद पर व 1 सहायक औषधि विश्लेषक को औषधी विश्लेषक के पर पदोन्नित की सौगात मिलेंगी।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सिटी पार्क लोकार्पण

21 अक्टूबर, 2022 • सायं 5.00 बजे • मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

द्वारा
श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

अध्यक्षता
श्री शान्ति कुमार धारीवाल
मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

- प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज (213 फीट)
- 3.5 कि.मी. लम्बा, 20 फीट चौड़ा जॉगिंग ट्रैक
- रॉक फाउन्टेन युक्त मनोरम लोअर लेक
- आकर्षक लाइटिंग एवं मधुर संगीत
- भव्य एन्ट्री प्लाजा
- 32 प्रजातियों के सघन वृक्ष
- एक्ज़ोटिक पौधे एवं सजीव स्कल्पचर्स
- बॉटनिकल गार्डन

इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण https://www.facebook.com/AshokGehlot.Rajasthan और https://www.youtube.com/user/GehlotAshok पर किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान संवाद